न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 259/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/390**
दायर दिनांक :– 22.10.2024 **निर्णय दिनांक :– 10.03.2025**

1. आसूराम पुत्र रूघनाथराम जाति नाई निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. कैलाश कड़वासरा पुत्र जेताराम जाति विश्नोई नि. फतेसागर तह. लोहावट जिला फलोदी
3. जगदीश कड़वासरा पुत्र जेताराम जाति विश्नोई नि. फतेसागर तह. लोहावट जिला फलोदी
4. जेताराम पुत्र हरदासराम जाति विश्नोई निवासी फतेसागर तह. लोहावट जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अनिता पत्नी गोरधनराम जाति नाई निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. उर्मिला पुत्री गोरधनराम जाति नाई निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
3. जयकिशन पुत्र गोरधनराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अनिता पत्नी गोरधनराम
4. जितेन्द्र पुत्र गोरधनराम जाति नाई निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
5. झबराराम पुत्र सगताराम जाति नाई निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
6. भींयाराम पुत्र सगताराम जाति नाई निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
7. राकूदेवी पत्नी सगताराम जाति नाई निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
8. मौतों पत्नी सूजाराम जाति नाई निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री नारायणसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली
3. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों का खेत खसरा नम्बर 123/3 रकबा 1.8939 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 469/3 रकबा 6.6045 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है

10/3/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

और प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका, पशुओं के बाड़ा इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु उप तहसीलदार शेखासर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और उप तहसीलदार शेखासर ने कमांक 65 दिनांक 18.06.2024 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का बारू को दिये, पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेश की पालना में दिनांक 26.06.2024 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान एवं मोतबीरान की उपस्थिति में उक्त भूमि की पैमाईश मुश्तकिल बिन्दु से करने लगे तो अप्रार्थीगण ने जान बूझकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पैमाईश नहीं करने दी जिसकी मौका फर्द पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रार्थीगण एवं पड़ोसी खातेदारान को सुनाई लेकिन पड़ोसी खातेदारान ने अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और पटवारी हल्का के द्वारा उक्त फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु नियमानुसार आदेश करवाया था और पटवारी हल्का ने मुश्तकिल बिन्दु से पैमाईश शुरू की तो अप्रार्थीगण ने पैमाईश नही होने दी जिससे बरसात के मौसम में प्रार्थीगण की फसल को आवारा पशु क्षति पहुचा रहे है। इसलिये प्रार्थीगण खसरा नम्बर 123/3 रकबा 1.8939 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 469/3 रकबा 6.6045 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप की पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक 26.06.2024 के अनुसार करवाने के अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 8 की और से अधिवक्ता करणीसिंह राठौड़ ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 123/3 रकबा 1.8939 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 469/3 रकबा 6.6045 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला फलोदी स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 26.06.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

12/3/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 8 की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 123/3 रकबा 1.8939 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 469/3 रकबा 6.6045 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला फलोदी स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसिलए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द 26.06.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि गांव बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 123/3 रकबा 1.8939 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 469/3 रकबा 6.6045 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 26.06.2024 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

10/3/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)